

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी./2009/912  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3-11-09

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
2. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
3. समस्त, आयुक्त, नगर निगम, म.प्र.।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, /सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, म.प्र.
5. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका /नगर पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, म.प्र.।

विषय :- नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी- 1, 2 तथा 3 के नियोजन उपरांत पदभार ग्रहण करने के संबंध में।

संदर्भ :- 1. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 1-28/09/20-1 भोपाल दिनांक 26.06.09  
2. म.प्र. शासन का आदेश क्रमांक 193/2009/20-1 भोपाल दिनांक 15.09.2009  
3. म.प्र. शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4-59/2009/1-25 दिनांक 26.09.09

--00--

संदर्भित पत्र के द्वारा नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी- 1, 2, तथा 3 के नियोजन उपरांत पदभार ग्रहण करने के संबंध में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं कि संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति उपरांत उनका पंजीयन ऑनलाईन एज्युकेशन पोर्टल पर किया जाकर उन्हें यूनिंक आई.डी. आवंटित करने के उपरांत ई-सेवा पुस्तिका में जानकारी को प्रविष्टि की जाये। इस कार्यवाही के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में नव नियुक्त संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 को जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से तथा श्रेणी-1 एवं हाई स्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त संविदा शिक्षक श्रेणी-2 को जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त स्वयं एक दिवसीय सामान्य प्रशिक्षण आयोजित कराने के उपरांत संबंधित शाला में कार्यभार ग्रहण कराने के लिए संबंधित संकुल प्राचार्य/प्राचार्य हेतु यथा स्थिति कार्य मुक्त करेंगे। एज्युकेशन पोर्टल का अवलोकन करने पर यह स्थिति ज्ञात हुई है कि नियुक्त किये गये सभी संविदा शाला शिक्षकों का पंजीयन ऑनलाईन एज्युकेशन पोर्टल पर नहीं किया गया है/जा रहा है, यह अत्यंत आपत्ति जनक है। संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति की समीक्षा उच्च स्तर पर ऑनलाईन एज्युकेशन पोर्टल के माध्यम से ही की जाती है। अतः इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि नवीन तौर पर नियुक्त किये गये सभी संविदा शाला शिक्षकों के संबंध में ऑनलाईन एज्युकेशन पोर्टल पर पंजीयन एवं यूनिंक आई.डी. आवंटित करने एवं ई-सेवा पुस्तिका प्रविष्टि की कार्यवाही एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से कर प्रतिवेदन ई-मेल आई.डी. dhote.sb@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में शासन के संदर्भित निर्देशों का कड़ाई से पालने करें। मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर पर प्रति सप्ताह संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

ई-मेल आई.डी. dhote.sb@nic.in  
dhote.sb@gmail.com

  
(बी.आर. नायक)

आयुक्त  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृष्ठा. क्रमांक/शि.कर्मी./2009/913  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 3-11-09

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त जनसंपर्क विभाग, म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
8. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



आयुक्त  
लोक शिक्षण, म.प्र.